(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फसल बीमा योजना का सभी राज्यों में लागू किया जाना

2814. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों से फसल ऋण न लेने वाले किसानों के लिए भी फसलों का बीमा किया जाएगा ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस योजना को इस प्रकार कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि प्रत्येक किसान जिसकी फसल का बीमा किया जाए उसको वास्तव में होने वाली हानि के अनुरूप ही क्षतिपूर्ति की जाए ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । अभी नहीं ।

(ग) यह योजना क्षेत्र आधारित है और यदि औसत-उपज में कोई कमी हो जाए तो इस क्षेत्र के सभी बीमाकृत किसान क्षतिपूर्ति दावों के हकदार होते हैं, परन्तु वैयक्तिक किसानों को उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं की जाती ।

Madras project approved by the UNDP

2815. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the United Nations Development Programme has recently approved a project for the development and management of water resources in Madras; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The United Nations Development Programme (UNDP) has approved a Project for Development and Management of Water Resources in Madras with a view to augment the drinking water supply to Madras City. The implementing agency for this Project is Madras Water Supply and Sewerage Board. The duration of the Project is 30 months starting from November, 1986. The Government of India input is Rs. 6.7 million (in kind) and the UNDP input as indicated in the Project Document is US $ 619650 which will be in the form of consultancy, fellowships, equipment and miscellanious items.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन

2816. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रापर्टी डीलर प्रेम नगर और नांगलोई, नजफगढ, जफरपुर कलां क्षेत्र के निकट डिलाइट विहार में पिछले तीन वर्षों से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई भी जांच या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच कराने का या कोई कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?